

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 271/2021

1. सुरेन्द्र पुत्र दलूराम जाति जाट साकिन चक 6 एच एल एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. बलवन्त पुत्र फूसाराम जाति जाट साकिन चक 6 एच एल एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

बनाम

1. रामेश्वरी पत्नि दलूराम जाति जाट साकिन चक 6 एच एल एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. राजेन्द्र पुत्र दलूराम जाति जाट साकिन चक 6 एच एल एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. श्रवण पुत्र दलूराम जाति जाट साकिन चक 6 एच एल एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. केशर पुत्री दलूराम पत्नि औमप्रकाश जाति जाट साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. इन्द्रादेवी पुत्री दलूराम पत्नि कृष्णलाल जाति जाट साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. प्रमेश्वरी पत्नि फूसाराम जाति जाट साकिन चक 6 एच एल एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
7. कृष्णलाल पुत्र फूसाराम जाति जाट साकिन चक 6 एच एल एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. मोहनलाल पुत्र फूसाराम जाति जाट साकिन चक 6 एच एल एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
9. सावित्री पुत्री फूसाराम पत्नि रूपराम जाति जाट साकिन डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. सावित्री पुत्री फूसाराम पत्नि दलीप जाति जाट साकिन डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
11. जरिये शाखा प्रबंधक ओरियंटल बैंक ऑफ कॉर्म्स शाखा चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
12. जरिये शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक फतेहगढ़ खलेरीबास तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
13. जरिये शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक पंडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
14. जरिये शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एड जयपुर मर्जर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :- 03/01/2022

वादीगण की ओर से श्री अनिल सिहाग अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 की ओर से श्री सन्दीप सैन अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 03/01/2022 को रणजीत कुमार (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एस टी बी के खाता सं. 22/21 का प.न. 104/368 मु.न. 16 कि.न. 4/1/0.2280, 4/2/0.0250 खाला, 5, 6, 7/1/0.2280, 7/2/0.0250 खाला,

03/01/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा


14/1/0.2270, 14/2/0.0260 खाला, 15, 16, 17/1/0.2280, 17/2/0.0250 खाला, 24, 25/1/0.202, 25/2/0.050 खाला व प.न. 104/370 मु.न. 28 कि.न. 4 ता 7, 14, 15, 16/2/0.1270, 17/2/0.063, 18/2/0.0380 की कुल 4.2760 है कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै. मु. खाला कृषि भूमि के वादी न. 1 व प्रतिवादी न. 2 व 3 को ब. हिस्सा बराबर बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

तहसील पीलीबंगा के चक 5 एच एल एम के खाता सं. 48/13 का प.न. 112/376 मु.न. 21 कि.न. 2/0.0130, 3 ता 7, 8/0.1770, 14 ता 17, 18/0.0130, 24/1/0.1640, 25/1/0.2280 की कुल 2.8720 है कमाण्ड कृषि भूमि में से स्व: दलूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड 1/3 हिस्सा के वादी न. 1 व प्रतिवादी न. 2 व 3 को ब. हिस्सा बराबर बराबर के व स्व: चूनीराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा के वादी न. 1, 2 व प्रतिवादी न. 2, 3 व 7,8 को ब. हिस्सा बराबर बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है।

तहसील पीलीबंगा के चक 6 जेड डब्ल्यू डी बी के खाता सं. 22/16 का प.न. 110/376 मु.न. 1 कि.न. 6 ता 20, 21/2/0.2280, 22/2/0.2280, 23/2/0.2280, 24/2/0.2280, 25/1/0.2270 की कुल 4.9340 है कमाण्ड जो कि 1955 से पूर्व की आराजी काश्तकार दर्ज है, लेकिन तहसीलदार से दिनांक 05.06.1996 द्वारा खातेदारी सनद जारी हो चुकी है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन नहीं हुआ है कृषि भूमि में से स्व: दलू के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड 1/3 हिस्सा के वादी न. 1 व प्रतिवादी न. 2 व 3 को ब. हिस्सा बराबर बराबर के व स्व: चूनी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा के वादी न. 1, 2 व प्रतिवादी न. 2, 3 व 7,8 को ब. हिस्सा बराबर बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है।

खातेदारी संनद दिनांक 05.06.1996 मिसल नं. 79/95 (प्रदर्श-A) को तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा से जारी की गई है। चूंकि पेश की गई सनद प्रमाणित है। लेकिन तहसीलदार द्वारा जारी सनद की जांच कर लेने और यदि विधिवत और सही है तो खातेदारी सनद अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 03/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेआम सुनाया गया।


03/01/2022
(राजजीत कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, एनएम
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा